न्यायालय SDO DHOD

नवान सुल्तान बनाम रामेश्वरलाल

मुकदमा नं. 119/2025

13/10/25	पत्रावली मय्स्ते अपील पेश हुई वकील अपीलार्थी उपस्थित। बहस पर मनन किया। समग्र पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र का ... अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया गया है। ... प्रकरण के ... प्राप्ति पश्चात ... किया। पत्रावली ... बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 15:25:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/मु.सं. 119/2025

01. सुल्तान पुत्र स्व. रामेश्वर उम्र 45 वर्ष
02. धापू देवी पत्नी स्व. रामेश्वर उम्र 73 वर्ष
    समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम सरवड़ी तहसील धोद जिला सीकर

– प्रार्थीगण

बनाम

01. रामेश्वरलाल महला पुत्र नारायणराम महला जाति जाट निवासी ग्राम बोसाना तहसील धोद जिला सीकर
02. किरण कंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासिनी ग्राम सरवड़ी तहसील धोद जिला सीकर हाल निवासिनी डी 56 गणेश पार्क जयपुर, अम्बावाडी जयपुर जिला जयपुर
03. गजेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरवड़ी तहसील धोद जिला सीकर हाल एफ–503 वृन्दावन काम्पलेक्स सेंटूल स्पाइन विद्याद्यर नगर, जयपुर
04. जितेन्द्रसिंह पुत्र जीवराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरवड़ी तहसील धोद जिला सीकर हाल निवासी बी 140 आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर
05. दिनेशसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरवड़ी हाल निवासी डी 56 गणेश पार्क, अम्बावाड़ी जयपुर जिला जयपुर
06. नरेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरवड़ी तहसील धोद जिला सीकर हाल निवासी प्लॉट नम्बर 230 सैक्टर 8 विधाधर नगर, जयपुर
07. संजीवसिंह पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरवड़ी तहसील धोद जिला सीकर
08. सुमन कंवर पत्नी जीवराजसिंह जाति राजपूत निवासिनी ग्राम सरवड़ी तहसील धोद जिला सीकर
09. विक्रमसिंह पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरवड़ी तहसील धोद जिला सीकर हाल निवासी सरवड़ी हाऊस कल्याण हॉस्पिटल के पीछे, सीकर
10. उपपंजीयक, धोद तहसील धोद जिला सीकर
11. तहसीलदार, धोद तहसील धोद जिला सीकर

आवेदन अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–

01. श्री सांवरमल चौधरी, व[illegible] ओर से
02. श्री भागीरथमल जाखड़, वकील अप्रार्थी[illegible]ादीगण सं. 1 ता 9 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 16:25:19 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

दिनांक– 17.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "उपरोक्त उनवानी वाद आज विधिवत रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें प्रार्थीगण को अपनी सफलता की पूर्ण आशा है। राजस्व ग्राम बल्लुपुरा तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमियां खसरा सं. 559/169 रकबा 0.0300 हेक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता एवं खसरा सं. 560/169 रकबा 1.5900 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.6200 हेक्टेयर अवस्थित है। उपरोक्त दोनों खसरा नम्बर का मूल खसरा सं. 169 रकबा 1.6200 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है। मूल खसरा सं. 169 रकबा 1.6200 हेक्टेयर भूमि में से रकबा 0.0300 हेक्टेयर भूमि रास्ते प्रयोजनार्थ काम में आ रही होने की वजह से उक्त रकबे को किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित किये जाने हेतु न्यायालय आदेश के जरिये भूमि खसरा सं. 169 के दो खसरा सं. 559/169 एवं खसरा सं. 560/169 राजस्व रिकार्ड में अंकित किये गये है। उक्त वर्णित भूमि मूल खसरा सं. 169 रकबा 1.6200 हेक्टेयर तन ग्राम सरवड़ी का पुराना खसरा सं. 100/1 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है। उक्त तथ्य भू-प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है। कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 100/1 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा मूल खसरा सं. 100 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा तन ग्राम बल्लुपुरा का एक भू-भाग रहा है। मूल खसरा सं. 100 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा को जागीर समाप्ति एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही गुला व बोयता पुत्रगण मंगला जाति बलाई निवासीगण ग्राम सरवड़ी काबिज होकर काश्त कर रहे थे। लगान तत्कालीन जागीरदार ठाकर मेजर हनुमानसिंह पुत्र डालसिंह राजपूत निवासी ग्राम सरवड़ी को अदा कर रहे थे। कालांतर में गुला व बोयता दोनों भाई संयुक्त परिवार से अलग-अलग हो गये तथा भूमि खसरा सं. 100 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा का बंटवारा करके अपने-अपने हक, हिस्से को अलग-अलग काश्त करने लग गये। जिस हक, हिस्से को बोयता काश्त कर रहा था। उक्त हक, हिस्से का बट्टा नम्बर डालकर नया खसरा सं. 100/2 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया है तथा जिस हिस्से को गुल्ला काश्त कर रहा था उसका बट्टा नम्बर डालकर नया खसरा सं. 100/1 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया है। कालांतर में बोयता का देहान्त हो जाने पर उसके हक, हिस्से की भूमि पुराने खसरा सं. 100/2 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा वाली भूमि को उसके वारिसान भागीरथ, गिरधारी, लच्छा पुत्रगण बोयता काश्त करने लगे। भागीरथ, गिरधारी, लच्छा पुत्रगण बोयता भूमि पुराना खसरा सं. 100/2 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा वाली भूमि पर अपने पिता बोयता की फुट स्टेप पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के पूर्व से ही लगाकर शांतिपूर्वक काबिज, काश्त चले आ रहे होने के कारण भूमि पुराना खसरा सं. 100/2 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा सं. 168 रकबा 0.8200 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड में अंकित चला आ रहा है, की खातेदारी भी विधि अनुसार धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भागीरथ, गिरधारी लच्छा पुत्रगण बोयता के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गई। इस निमित कोई विवाद शेष नहीं रहा है। इस कारण भूमि पुराना खसरा सं. 100/2 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा नया खसरा सं. 168 रकबा 0.8200 हेक्टेयर वाली भूमि के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र में आगे कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा है। प्रस्तुत आवेदन में विवादित भूमि पुराना खसरा सं. 100/1 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा नया खसरा सं. 169 रकबा 1.6200 हेक्टेयर, जिसके वर्तमान खसरा सं. 559/169 रकबा 0.03 हेक्टेयर एवं खसरा सं. 560/169 रकबा 1.5900 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.6200 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड में अंकित चले आ रहे है, को लेकर है। मद सं. 2 ता 4 में किये गये उल्लेख के आधार पर यह पूर्णतया स्पष्ट है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 16:25:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

विवादित भूमियां वर्तमान खसरा सं. 559/169, 560/169 वाके ग्राम बल्लुपुरा तहसील धोद जिला सीकर को जागीर समाप्ति एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के पूर्व गुल्ला पुत्र मंगला बलाई निवासी ग्राम सरवड़ी काबिज होकर काश्त कर रहा था तथा लगान तत्कालीन जागीरदार ठाकुर मेजर हनुमानसिंह पुत्र ठाकुर डालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरवड़ी को अदा कर रहा था। स्व. गुल्ला अपने जीवन पर्यन्त उपरोक्त भूमियों को काबिज होकर काश्त करता रहा तथा उसके देहान्त के पश्चात् उसका एकमात्र पुत्र रामेश्वर पुत्र गुल्ला काश्त करने लगा तथा स्व. रामेश्वर पुत्र गुल्ला के देहान्त के पश्चात् से उपरोक्त भूमियों को प्रार्थीगण एवं वाद की प्रतिवादीनीगण सं. 12 ता 14 स्व. रामेश्वर के विधिक वारिसान की हैसियत से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रस्तुत आवेदन के अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 आवेदन पत्र की पूर्व की मदों में उल्लेखित विवादित भूमियों के जागीरदार ठाकुर मेजर हनुमानसिंह के वारिसान है। परन्तु विवादित भूमियों को न तो कभी ठाकुर मेजर हनुमानसिंह द्वारा अपने जीवन काल में कभी काश्त किया गया तथा न ही उसके किसी वारिस द्वारा कभी विवादित भूमियों को काश्त किया गया। उपरोक्त भूमि कभी भी जागीरदार ठाकर मेजर हनुमानसिंह व उसके वारिसों की खुद काश्त में नहीं रही। विधिक प्रावधानों के अनुसार विवादित भूमियों की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आते ही प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण सं. 12 ता 14 के पूर्वज गुल्ला के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो जानी चाहिए थी। परन्तु खातेदारी पूर्व में गलत रूप से जागीरदार ठाकुर मैजर हनुमानसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गई तथा उसके पश्चात् अवैध रूप से विरासत के आधार पर अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होकर चलती रही। अन्यथा जब मूल खसरा सं. 100 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा के बट्टा नम्बर 100/2 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी प्रार्थीगण एवं प्रतिवादीनीगण सं. 12 ता 14 के पूर्वज गुल्ला के भाई बोयता के वारिसान के नाम हो गई तो विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं प्रतिवादिनीगण सं. 12 ता 14 एवं उनके पूर्वजों गुल्ला एवं रामेश्वर के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होने का कोई कारण एवं आधार नहीं रह जाता है। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 द्वारा विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकित हो रखे गलत एवं अवैध इन्द्राजात का अनुचित लाभ उठाकर अप्रार्थी सं. 1 से साजिश रचकर अप्रार्थी सं. 1 के हक में विवादित भूमियों खसरा नम्बर, खसरा सं. 559/169, 560/169 कुल किता 2 कुल रकबा 1.6200 हेक्टेयर तन ग्राम बल्लुपुरा तहसील धोद जिला सीकर सम्पूर्ण के बाबत दिनांक 25.07.2025 को एक सर्वथा अवैध शून्य एवं प्रभावहीन विक्रय–पत्र अप्रार्थी सं. 1 के हक में निष्पादित एवं पंजीकृत करवाकर कार्यालय उपपंजीयक, धोद के यहां पर पंजीकृत करवा दिया गया। उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर स्वतः स्वीकृत नामांतरकरण सं. 902 दिनांकित 25.07.2025 के जरिये उपरोक्त विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 का नाम एकमात्र खातेदार के रूप में अवैध रूप से अंकित हो गया है। जिसके कायम रहने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विवादित भूमियों में से अपने खातेदारी हक, अधिकारों की उदघोषणा के मुख्य अनुतोष निमित माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लाजमी आया है। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 द्वारा विवादित भूमियों के निमित्त अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया गया [illegible] दिनांकित 25.07.2025 केवल मात्र गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर पंजीकृत [illegible] है। उक्त विक्रय–पत्र अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 द्वारा आपस में साजिश रचकर केवल [illegible] प्रार्थीगण एवं प्रतिवादिनीगण सं. 12 ता 14 की पैतृक हक, आधिपत्य की विवादित भूमियों को हड़पने की गरज से निष्पादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 16:25:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

एवं पंजीकृत करवाया गया है। जो प्रार्थीगण के विवादित भूमियों के सम्बन्ध में जो खातेदारी हक, अधिकार है, उनके मुकाबले सर्वथा अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है। प्रार्थीगण ने वर्तमान में विवादित भूमि पर गंवार एवं मोठ की फसल काश्त कर रखी है। विवादित भूमियों के किसी भी हक हिस्से पर न तो कभी अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 के पूर्वजों का कोई कब्जा काश्त रहा तथा न ही अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 का कब्जा, काश्त रहा है। इसलिये उनके द्वारा विवादित भूमियों के निमित्त अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत करवाये गये विक्रय–पत्र के तहत अप्रार्थी सं. 1 को विवादित भूमियों के किसी भी हक, हिस्से का कोई कब्जा नहीं संभलाया जा सका है। परन्तु वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 अपने पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांकित 25.07.2025 एवं उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अवैध रूप से करवाये गये इन्द्राजात का अनुचित लाभ उठाकर बसाजिश अप्रार्थीगण सं. 2 ता 11 विवादित भूमियों को अन्यत्र हस्तांतरित प्रभारित करने, विवादित भूमियों पर बलात् कब्जा करने तथा प्रार्थीगण को विवादित भूमियों पर से बलात् बेदखल करने पर आमादा फसाद हो रखा है। जिसका उसे विधिक अधिकार हासिल नहीं है। अपनी उक्त कुचेष्टाओं के क्रम में अप्रार्थी सं. 1 ने विवादित भूमियों के बाबत अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 से विक्रय–पत्र दिनांकित 25.07.2025 निष्पादित एवं पंजीकृत करवाने के पांच दिन बाद दिनांक 30.07.2025 को प्रार्थीगण को यह कहा कि विवादित जमीन की खातेदारी मेरे नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। इसलिये आप कुछ ले देकर राजीरजा इस जमीन का कब्जा मुझे सौंप दो अन्यथा मैं भूमाफियाओं की मदद से जबरन कब्जा कर लूंगा। इस पर प्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत हुये विक्रय–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाकर दिनांक 03.08.2025 को अपने गांव के मौजिज व्यक्तियों को इकट्ठा करके उनके सामने अप्रार्थी सं. 1 से सम्पर्क करके उसे इस सम्बन्ध में उलाहना दिया गया तो अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपनी गलती मानी गई तथा शीघ्र ही विवादित भूमियों का राजस्व रिकार्ड सहमति से ही प्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने का आश्वासन दिया। परन्तु अप्रार्थी सं. 1 झूठे आश्वासन देकर समय निकालता रहा और उसने दिनांक 07.08.2025 को अपने साथ पांच अजनबी भूमाफियाओं को साथ लेकर पुनः विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने की कुचेष्टा की। प्रार्थीगण द्वारा जब इस सम्बन्ध में एतराज जताया गया तथा अप्रार्थी सं. 1 को उसके द्वारा पूर्व में दिये गये आश्वासन के बारे में याद दिलाया गया तो उसने प्रार्थीगण को खुले आम यह धमकी दी कि मैं तुम्हारे नाम विवादित भूमियों की खातेदारी कभी राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं करवाऊंगा। या तो आप राजीरजा इस जमीन का कब्जा छोड़ दो, अन्यथा मैं इन जमीनों के सम्बन्ध में यथाशीघ्र ही भू–माफिया के पक्ष में हस्तांतरण प्रलेख निष्पादित एवं पंजीकृत करवाकर उनका नाम विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाकर उनकी मदद से यथाशीघ्र ही इन जमीन पर जबरन कब्जा करके ही दम लूंगा। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 भी इस सम्बन्ध मे मेरी मदद करेंगें। इस प्रकार यदि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 बसाजिश अप्रार्थीगण सं. 10 एवं 11 अपनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होकर उन्हे ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी अन्य रूप में किया जाना संभव नहीं हो पायेगा। इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 11 को मय परिवारजन, नौकरजन, प्रतिनिधिजन ... अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित भी किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत ... प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन माननीय न्यायालय के ... प्रस्तुत किया जाना लाजमी आया है। प्रार्थीगण का प्रबल प्राईमाफेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 16:25:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Scanned with OKEN Scanner

है। आवेदन उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 को मय परिवारजन, नौकरजन, प्रतिनिधिजन जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे विवादित भूमियां खसरा सं. 559/169 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, खसरा सं. 560/169 रकबा 1.5900 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.6200 हेक्टेयर वाके ग्राम बल्लुपुरा पटवार हल्का बोसाना तहसील धोद जिला सीकर को किसी भी रूप में हस्तांतरित, प्रभारित करने, उपरोक्त भूमियों पर से प्रार्थीगण को बलात् बेदखल करने एवं प्रार्थीगण के कब्जा, काश्त एवं उपयोग–उपभोग में दखलदांजी करने से बाज रहे तथा विवादित भूमियों के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी सं. 10 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वह विवादित भूमियों के बाबत अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उसके यहां प्रस्तुत होने वाले किसी भी हस्तान्तरण एवं प्रभारण प्रलेख को पंजीकृत नहीं करें एवं अप्रार्थी सं. 11 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वह उपरोक्त विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।"

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 10 व 11 पर विधिवत तामील हो चुकी है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 की ओर से श्री भागीरथमल जाखड़, एड. ने उपस्थित होकर जवाब टी.आई. आवेदन मय विशेष उत्तर सहित पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि "मद सं. 1 में दावा व आवेदन–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होना स्वीकार है। बाकी पैरा अस्वीकार है। प्रार्थीगण को सफलता की लेशमात्र भी सम्भावना नहीं है। मद सं. 2 स्वीकार है। मद सं. 3 जिस तरह से तहरीर की गई है, स्वीकार नहीं है। विवादग्रस्त भूमि खसरा सं. 559/169, 560/169 के पुराने खसरा सं. 100/2 से प्रार्थी व प्रार्थी के पिता बोहिताराम का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, न ही कभी कब्जा रहा है। मद सं. 4 जिस तरह से तहरीर की गई है, गलत होने से अस्वीकार है। भूमि खसरा सं. 559/169, 560/169, खसरा सं. 169 रकबा 1.6200 हेक्टेयर अप्रार्थीगण के पिता व दादा हनुमान सिंह के कब्जे, काश्त की तथा उसके मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 के नाम से खातेदारी दर्ज हुई थी तथा अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 उक्त विवादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अन्य भूमियों का मौजूदा प्रकरण का किसी प्रकार से संबंध नहीं है। प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा, काश्त उक्त भूमि पर नहीं रहा है। मद सं. 5 जिस तरह से तहरीर की गई, स्वीकार नहीं है। उक्त मद में प्रार्थी द्वारा दर्ज गलत होने से स्वीकार नहीं है। मद सं. 6 जिस तरह से तहरीर की गई है, गलत होने से स्वीकार नहीं है। उक्त विवादग्रस्त भूमियां अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 के खाते व कब्जे, काश्त की भूमि थी, जिसमें उक्त भूमि को दिनांक 25.07.2025 को जरिये रजिस्टर विकय–पत्र अप्रार्थी सं. 1 रामेश्वरलाल को विक्रय कर दिया था व कब्जा सम्भला दिया था। उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर उक्त आराजी भूमि रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज हो चुकी है। उक्त भूमि का कब्जा काश्त रामेश्वरलाल का है, प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा, काश्त को कोई वास्ता नहीं है। मद सं. 7 जिस तरह से तहरीर की गई है, वह स्वीकार नहीं है तथा विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कब्जा, काश्त का अधिकार नहीं है तथा मौजूदा में अप्रार्थीगण सं. 1 ही काबिज, काश्त है तथा प्रार्थीगण किसी भी कानूनी प्रावधान के तहत विवादित भूमि पर कोई हक प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, न ही कभी उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व उसके पिता का कब्जा, काश्त है। मद सं. 8 अस्वीकार है। रिकार्ड से प्रार्थीगण का कोई प्राईमरी केस नहीं बनता है। न ही अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होती है। मद सं. 9 कानूनी है। विशेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Mahotra
Date: 2025.10.17 16:25:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर– भूमि खसरा सं. 569/169 व 560/169 रकबा 1.6200 हेक्टेयर, जिसके पुराने खसरा सं. 100/2 वाके ग्राम बल्लुपुरा तहसील धोद में अवस्थित है, जो पूर्व में हणमान सिंह के खातेदारी व कब्जे, काश्त की थी तथा उसके बाद विरासत के आधार पर उक्त आराजी भूमि अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 को प्राप्त हुई है। जिस पर अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 सदेव से काबिज, काश्त है तथा अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 25.07.2025 को अप्रार्थी को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया गया तथा विक्रय–पत्र के आधार पर मौजूदा में उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण सं. 1 के नाम दर्ज हो गई है, मौजूदा कब्जा, काश्त अप्रार्थी सं. 1 का ही है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा, काश्त नहीं रहा है न ही उक्त भूमि से प्रार्थीगण का काश्त है तथा न ही प्रार्थीगण का वास्ता है तथा न ही प्रार्थीगण किसी कानूनी प्रावधान के तहत किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। प्रार्थीगण बिना किसी आधार और बिना कानूनी आधार पर दावा व आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि आवेदन खारिज फरमाया जावें।''

बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये प्रार्थीगण/वादीगण का आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 ने अपने जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर प्रार्थीगण/वादीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली, आवेदन, जबाव एवं सभी दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के अनुसार वाके ग्राम बल्लूपरा पटवार हल्का बोसाना तहसील धोद जिला सीकर के वर्तमान खाता सं. 258 के विवादित भूमियां खसरा सं. 559/169 रकबा 0.0300 हेक्टेयर गै.मु.रास्ता, खसरा सं. 560/169 रकबा 1.5900 हेक्टेयर बारानी 2 (उक्त दोनों नवीन खसरान पूर्व मूल खसरा सं. 169 रकबा 1.6200 हेक्टेयर को मिलाकर है) में वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की भूमि है तथा विवादित आराजियात में प्रार्थीगण/वादीगण ने कब्जे काश्त व पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खातेदारी जागीरदारी के जरिये उनके नाम होने का हवाला देकर मूल वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया चूंकि इस स्टेज पर आराजियात का विक्रय अन्तरण होता है या मौका स्थिति का परिवर्तन होता है या प्रार्थीगण/वादीगण के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी होती है तो वाद बहुलता होगी तथा प्रार्थीगण/वादीगण को भी अत्यधिक असुविधा होगी। प्रकरण से संबंधित मूल वाद उक्त वर्णित उभयपक्षकारान (प्रार्थीगण/वादीगण, अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण) के हिस्से के संबंध में प्रस्तुत मूल वाद में उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में मामला विचाराधीन है, जिसका निर्धारण उक्त मूल वाद में होना है। हस्तगत टी.आई. आवेदन का निस्तारण हस्तगत पत्रावली में आये तथ्यों के अनुरूप तय किया जाना है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण/वादीगण के हक में बनता है।

(B) सुविधा का संतुलन– उक्त वर्णित आराजियात में अप्रार्थी सं. 1 खातेदार है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण/वादीगण में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 15:25:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

(C) अपूरणीय क्षति– यदि विवादित आराजियात का बेचान होकर रिकॉर्ड में परिवर्तन होता है तो इससे वाद बहुलता बढेगी तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण/वादीगण को होगी। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण/वादीगण को ही होनी है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/वादीगण को मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण/वादीगण का आवेदन अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक आराजी खसरा सं. 560/169 रकबा 1.5900 हेक्टेयर वाके ग्राम बल्लूपुरा पटवार हल्का बोसाना तहसील धोद जिला सीकर के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह आदेश प्रचलित रास्तों/कटान के रास्तों, जल/विद्युत संबंध, राको रोड़ा के तहत बैंक कार्यवाही आदि पर लागू नहीं होगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 15:25:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner